न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 106 सन 2018

अनवान :–

1. श्रवण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. रामदयाल पुत्र अर्जन जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
2. चन्दुलाल 3 हरफुल 4. जयलाल 5. रामस्वरूप पि0 रामदयाल जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता 2–4 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 17/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 84 के खसरा न0 36 की 47.12 बीधा खसरा न0 81 की 26.05 बीधा , कुल 73.17 बीधा भूमि तथा खाता संख्या 35 के खसरा न0 27 की 18.08 बीधा , खसरा न0 102 की 49.13 बीधा में से 1/5 हिस्सा अर्जनराम पुत्र नत्थुराम की सम्वत 2001 से नौतोड करदा भूमि थी जिसके वे तन्हा खातेदार काश्तकार थे।

उक्त भूमि भू– प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में गत खसरा नम्बर 36 मिन व 80 मिन 81 मीन व 102 मीन के हाल खसरा न0 20 ,120 ,148 ,161 ,178 ,179 ,224 में परिर्वतन कर पैमुद किये गये।

वाद भूमि सायल के पडदादा अर्जनराम पुत्र नत्थुराम की सम्वत 2001 से नोतोड करदा भूमि थी जिसके वे तन्हो खातेदार काश्तकार थे

रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 112/86 के खसरा न0 20/5.2480हैक , 120/6.1330 ,148/4.3630 ,161/6.6900 ,178/3.2680 ,179/0.5060, 224/2 की 5.3370हैक कुल 31.5650हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है उक्त भूमि वर्तमान में कुल 31.5650हैक में से खसरा न0 20/5.2480 ,120/6.1330 ,में से 0.6738हैक भूमि सायल को गैरसायल न0 1 द्वारा दान करने के बाद शेष बची 5.4592हैक व खसरा न0 148/4.3630हैक में से 2.9694हैक में गैरसायल न0 1 सायल को दान करने के पश्चात शेष बची 1.3936हैक तथा खसरा न0 161 की 6.6900हैक खसरा न0 178 की 3.2680हैक खसरा न0 179 की 0.506हैक खसरा न0 224/2 की 5.3370हैक में 1.267हैक गैरसायल न0 2 ,3 के लडकों को गैरसयाल न0 1 के द्वारा दान करने के पश्चात शेष बची 4.072हैक कुल 26.6568हैक भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि में सायल का जन्मसिद्व अधिकार है सायल व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के साथ सयुक्त तौर से1/9 हिस्से में बहिब का खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल न0 1 ता 8 प्रत्येक 1/9 ,1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 अत्याधिक बीमार व्यक्ति है और 85 साल का वृद्व व्यक्ति है जिसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है जो गैरसायल न0 2 ता 5 के असर में है इसलिये गैरसायल न0 2 ता 5 गैरसायल की परिस्थितियों का फायदा उठाकर वाद भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई भी दस्तावेज तहरीर करवा सकते है जिससे सायल के हकों को नुकसान होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायलान को पाबन्द करवाना चाहते है कि वाद के निस्तारण तक वाद भूमि की यथास्थित बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 112/86 की कुल 26.6568हैक भूमि की ताफैसला दावा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादग्रस्त भूमि मृतक रामदयाल की स्व अर्जित भूमि है तथा सायल को दावा लाने का कोई अधिकार नही है मृतक रामदयाल ने सायल को दानपत्र द्वारा उसके हक हिस्सा की भूमि उसके पिता शिशपाल को दे दी गई है तथा शेष बची भूमि रामदयाल ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र

चन्दुराम हरफुल जयलाल को दिनांक 16.09.2016 को वसीयत कर दी गई है वसीयत के अनुसार गैरसायल न0 2 ता 4 वादग्रस्त भूमि मे रामदयाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार हो गये है इसलिये सायल वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है

वादभूमि कुल 31.5650हैक में से कुल 3.6432 हैक सायल को गैरसायल न0 1 मृतक रामदयाल ने दानपत्र करवाना स्वीकार है तथा गैरसायल न0 2 के पुत्र अशोक कुमार व गैरसायल न0 3 के पुत्र बशीलाल को 1.265हैक भूमि दिनांक 28.12.2015 को दानपत्र मृतक रामदयाल ने करवाना स्वीकार है तथा शेष बची भूमि 26.6568हैक भूमि मृतक रामदयाल ने दिनांक 16.9.2016 को गैरसायल न0 2 ता 4 के पक्ष में वसीयत करवाई गई है और रामदयाल की मृत्यू के बाद गैरसायल न0 2 ता 4 रामदयाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार हो गये है वादभूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही रहा है ना हीकिसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी है ना ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 2 ता 4 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 84 के खसरा न0 36 की 47.12 बीधा खसरा न0 81 की 26.05 बीधा , कुल 73.17 बीधा भूमि तथा खाता संख्या 35 के खसरा न0 27 की 18.08 बीधा , खसरा न0 102 की 49.13 बीधा में से 1/5 हिस्सा अर्जनराम पुत्र नत्थुराम की सम्वत 2001 से नौतोड करदा भूमि थी जिसके वे तन्हा खातेदार काश्तकार थे।

उक्त भूमि भू– प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में गत खसरा नम्बर 36 मिन व 80 मिन 81 मीन व 102 मीन के हाल खसरा न0 20 ,120 ,148 ,161 ,178 ,179 ,224 में परिर्वतन कर पैमुद किये गये।

वाद भूमि सायल के पडदादा अर्जनराम पुत्र नत्थुराम की सम्वत 2001 से नोतोड करदा भूमि थी जिसके वे तन्हो खातेदार काश्तकार थे

रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 112/86 के खसरा न0 20/5.2480हैक , 120/6.1330 ,148/4.3630 ,161/6.6900 ,178/3.2680 ,179/0.5060, 224/2 की 5.3370हैक कुल 31.5650हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है उक्त भूमि वर्तमान में कुल 31.5650हैक में से खसरा न0 20/5.2480 ,120/6.1330 ,में से 0.6738हैक भूमि सायल को गैरसायल न0 1 द्वारा दान करने के बाद शेष बची 5.4592हैक व खसरा न0 148/4.3630हैक में से 2.9694हैक में गैरसायल न0 1 सायल को दान करने के पश्चात शेष बची 1.3936हैक तथा खसरा न0 161 की 6.6900हैक खसरा न0 178 की 3.2680हैक खसरा न0 179 की 0.506हैक खसरा न0 224/2 की 5.3370हैक में 1.267हैक गैरसायल न0 2 ,3 के लडकों को गैरसयाल न0 1 के द्वारा दान करने के पश्चात शेष बची 4.072हैक कुल 26.6568हैक भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि में सायल का जन्मसिद्व अधिकार है सायल व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के साथ सयुक्त तौर से1/9 हिस्से में बहिब का खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल न0 1 ता 8 प्रत्येक 1/9 ,1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 अत्याधिक बीमार व्यक्ति है और 85 साल का वृद्व व्यक्ति है जिसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है जो गैरसायल न0 2 ता 5 के असर में है इसलिये गैरसायल न0 2 ता 5 गैरसायल की परिस्थितियों का फायदा उठाकर वाद भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई भी दस्तावेज तहरीर करवा सकते है जिससे सायल के हकों को नुकसान होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायलान को पाबन्द करवाना चाहते है गैरसायल न0 2 ता 4 ने सायल के हकों को नुकसान पहुचानें की नियम से वाद /प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद अपने पक्ष में वसीयत तहरीर करवा ली है जो सायल के हकों के प्रति शुन्य है तथाकथित वसीयत साजिसाना तौर पर करवाई गई है जिसके आधार पर गैरसायल न0 2 ता 4 को किसी प्रकार के हक हासिल नही होते है वसीयत स्थगन आदेश जारी होने के बाद करवाई गई है जो विधिविरूद्व एवं शुन्य है सायल के हकों का निधारण वाद में साक्ष्य सबुतों तनकीआत के आधार पर होना है इसलिये वाद के निस्तारण तक वाद भूमि की यथास्थित बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल न0 2 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि मृतक रामदयाल की स्व अर्जित भूमि है तथा सायल को दावा लाने का कोई अधिकार नही है मृतक रामदयाल ने सायल को दानपत्र द्वारा उसके हक हिस्सा की भूमि उसके पिता शिशपाल को दे दी गई है तथा शेष बची भूमि रामदयाल ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र चन्दुराम हरफुल जयलाल को दिनांक 16.09.2016 को वसीयत कर दी गई है वसीयत के अनुसार गैरसायल न0 2 ता 4 वादग्रस्त भूमि मे रामदयाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार हो गये है इसलिये सायल वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है

वादभूमि कुल 31.5650हैक में से कुल 3.6432 हैक सायल को गैरसायल न0 1 मृतक रामदयाल ने दानपत्र करवाना स्वीकार है तथा गैरसायल न0 2 के पुत्र अशोक कुमार व गैरसायल न0 3 के पुत्र बशीलाल को 1.265हैक भूमि दिनांक 28.12.2015 को दानपत्र मृतक रामदयाल ने करवाना स्वीकार है तथा शेष बची भूमि 26.6568हैक भूमि मृतक रामदयाल ने दिनांक 16.9.2016 को गैरसायल न0 2 ता 4 के पक्ष में वसीयत करवाई गई है और रामदयाल की मृत्यू के बाद गैरसायल न0 2 ता 4 रामदयाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार हो गये है वादभूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही रहा है ना ही किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी है ना ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायल का हक हिस्सा है या नही और मृतक रामदयाल के द्वारा गैरसायल न0 2 ता 4 के द्वारा करवाई गई वसीयत के आधार पर गैरसायल न0 2 ता 4 किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 112/86 की कुल 26.6568 हैक भूमि रामदयाल गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज थी जिसका देहान्त हो चुका है तथा रामदयाल के जायज व कानुनी वारिसान सायल व गैरसायल एवं वाद के वादी प्रतिवादीगण है जो रामदयाल के सम्पति पाने के अधिकारी है अतःवाद भूमि सायल व गैरसायल के पूर्वज मृतक रामदयाल के नाम से दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन दोनो पक्षों के पक्ष में सामान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि पैतृक जो उसके पडदादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद की दादा गैरसायल न0 1 रामदयाल को प्राप्त हुई है जबकि गैरसायल न0 2 ता 4 का कथन है कि वाद भूमि रामदयाल गैरसायल न0 1 की स्वअर्जित भूमि है गैरसायल न0 2 ता 4 ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया जबकि सायल ने सम्वत 2001 की जमाबन्दी पेश की गई जिसमें सायल के पडदादा का नाम अंकित है प्रथम दृष्टया वादभूमि पडदादा से रामदयाल को आनी प्रतित होती है।

सायल का कथन है वाद भूमि जो रामदयाल के नाम से दर्ज है एवं रामदयाल काफी वृद्व है जिससे कोई भी दस्तावेज तहरीर करवाया जा सकता है क्योकि रामदयाल की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है सायल का कथन प्रस्तुत वसीयत से साबित होना प्रतित होता है क्योकि गैरसायल न0 2 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 16.09.2016 को तहरीर करवाई गई एवं नोटेरी से तस्दीक करवाई गई थी जबकि वाद/प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2016 को न्यायालय में पेश किया गया था अर्थात वाद /प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद वसीयत तहरीर करवाई गई हैं।

वाद भूमि पैतृक है या स्वअर्जित यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा एवं वसीयत दिनांक 16.09.2016 को तस्दीक करवाई गई है के आधार पर सायल वाद भूमि के हकदार है या नही भी वाद में ही साबिअत होगा तथा वाद भूमि में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी है या नही यह तथ्य भी वाद में ही तय होना है जब तक सायल के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित है क्योकि गैरसायल न0 2 ता 4 वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवानें के उपरान्त वाद भूमि को खूर्द बूर्द कर सकते है जिससे सायल को हकों को नुकसान हो सकता है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2016 को रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 112/86 की कुल 26.6568हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)